न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

न 61 / 2021

उनवान

1. नारायणलाल पुत्र रघुवरदयाल उर्फ रूधाराम, जाति माली, निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. प्रकाश चन्द पुत्र स्व0 मोहनलाल,
2. प्रेम देवी पुत्री स्व0 मोहनलाल,
3. शान्ति देवी पत्नी स्व0 रामरतन,
4. नीलम पुत्री स्व0 रामरतन,
5. नितेश पुत्र रामरतन,
6. गुलाबी देवी पुत्री स्व0 मोहनलाल,
7. महेश कुमार पुत्र स्व0 मोहनलाल,
8. गुड्डी देवी पुत्री स्व0 मोहनलाल,
9. बल्लू देवी पुत्री स्व0 मोहनलाल,
10. मुकेश कुमार पुत्र स्व0 मोहनलाल,
11. बबली देवी पुत्री स्व0 मोहनलाल,
12. छोटी देवी पत्नी स्व0 मोहनलाल,

    जाति माली, निवासी ग्राम हाडोता तहसील चौमूं जिला जयपुर।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

— अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, एल0 आर0 एक्ट</u>

निर्णय दिनांक– 25/11/21

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम हाड़ोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0) में स्थित है, जिस भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

खाता संख्या नई 250 पुरानी 228 के तहत:–

क्रम संख्या	खसरा नम्बर	रकवा हेक्टर में
1	1947	0.56
कुल किता 1 का कुल रकबा 0.56 है0		

उक्त सारणी में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1947 रकबा 0.56 है0 सम्पूर्ण का प्रार्थी स्वतंत्र रूप से एक मात्र खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.29 11:48:59 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या नई 2514 पुरानी 230 के तहत:–

क्रम संख्या	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टर में
1	1948	0.01
2	1949	0.01
3	1950	0.34
4	1950/2343	0.02

5	1951	0.32
कुल किता 5 का कुल रकबा 0.70 है0		

उक्त सारणी में वर्णित भूमि खसरा किता 5 का रकबा 0.70 हैक्टर का हिस्सा 1/2 भाग का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्सा अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 12 के नाम से दर्ज रिकार्डेड है।

प्रार्थना–पत्र का मद नं0 1 में वर्णित सारणी में भूमि खसरा नम्बर 1947 रकबा 0.56 हैक्टर का प्रार्थी एक मात्र रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार है तथा उक्त भूमि को प्रार्थी शांति पूर्वक काश्त कर लगान सरकारी जमा करवाता आ रहा है।

प्रार्थी ने उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1947 रकबा 0.56 हैक्टर का सीमाज्ञान तहसीलदार तहसील चौमूं के आदेश क्रमांकः भू.अ./21/2021–22 दिनांक 21–6–2021 की पालना में पटवारी हल्का हाड़ोता द्वारा दिनांक 02–07–2021 को किया गया था। जिसके सीमा चिन्ह मौके पर मौजूद है।

प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1947 के पड़ौसी पश्चिमी के खातेदार अप्रार्थीगण सं0 1 ता 12 है, जिनके द्वारा कायम सीमा चिन्हों पर पत्थरगढ़ी करने से मना करने व अप्रार्थीगण की असहमति होने के कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। दिनांक 04–07–2021 को अप्रार्थीगण सं0 1 ता 12 द्वारा एक राय होकर प्रार्थी की भूमि की सीमाओं में तोड़ फोड़ करने की कुचेष्टा करने व सीमा चिन्हों को नष्ट करने एवं प्रार्थी को पत्थरगढ़ी करने से साफ मना करने के कारण प्रार्थना–पत्र पेश है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर उक्त कृषि भूमि वर्णित मद नं0 1 प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजीयात कृषि भूमि खसरा नम्बर 1947 रकबा 0.56 हैक्टर स्थित वाके ग्राम हाड़ोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 02–07–2021 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाने के आदेश प्रतिवादी संख्या 13 तहसीलदार चौव को फरमाया जावें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट हाडौता में पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1, 7, 10, 5 की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 1947 का सीमाज्ञान करीब 30 वर्ष पूर्व करवाया जाकर मौके के पत्थरगढी करवायी गयी थी। जिस पत्थरगढी के अनुसार प्रार्थी/मन अप्रार्थी की सीमा वर्तमान सीमा से प्रार्थी की तरफ 3–4 फीट रही थी। जिसके अनुसार मन अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर प्रार्थी के 3–4 फीट छोडकर अपने आवास हेतु पुख्ता मकानात का निर्माण करवाया गया है। पूर्व में करवाये गये सीमाज्ञान [illegible]ढ़ी के कारण उक्त प्रार्थना पत्र वर्तमान में चलने योग्य नहीं है। वर्तमान में तहसीलदार [illegible] द्वारा सीमाज्ञान से पूर्व मन अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार के सीमाज्ञान के प्रार्थना पत्र में सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किये गये, ना ही सीमाज्ञान से पूर्व मन अप्रार्थी को सुनवाई हेतु कोई अवसर प्रदान किया गया। तहसीलदार महोदय चौमूं द्वारा कभी भी मौके पर जाकर प्रार्थना पत्र में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.29 11:48:59 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित भूमि का सीमाज्ञान नहीं किया गया है। उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट को देखने से भी भलीभांति स्पष्ट होता है कि उक्त सीमाज्ञान के आधार पर पश्चिमी सीमा की ओर स्थित मन अप्रार्थी की भूमि के सीमा चिन्ह की स्थित क्या रही तथा वर्तमान सीमा चिन्ह से कितनी आगे पिछे रही है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट मात्र कागजी रूप पर तैयार किया जाना प्रतित होता है। जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित नहीं होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लेख है कि अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी को खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी की ओर से जवाब प्रारम्भिक आपत्ति का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मिन प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1947 का उक्त प्रार्थना–पत्र से पूर्व में कभी भी विधिक पत्थरगढ़ी मिन प्रार्थी द्वारा नहीं करवाई गई है। अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना–पत्र कौनसी धाराओं में प्रस्तुत किया है, वर्णित नहीं किया, मात्र प्रार्थी को न्याय प्राप्ती में देरीना करने की गरज से उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नहीं है। यदि अप्रार्थीगण तहसीलदार चौमूं के आदेश दिनांक 2–7–2021 से सन्तुष्ट नहीं है तो सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील करनी चाहिए, तहसीलदार चौमूं का उक्त आदेश विधिनुसार सही व सत्य है। अप्रार्थीगण ने मात्र देरी करने की गरज से अनगरल कथन उक्त मद में अंकित किए है। इसलिए अप्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 2–7–2021 पर पटवारी हल्का हाड़ोता व भू अभि. निरीक्षक के हस्ताक्षर मौजूद है व पुख्ता चिन्हों गैर मुमकिन चाह(कुआ खसरा नम्बर 1945 व 1948) को आपस में मिलान कर मौके व राजस्व नक्शा का सत्यापन करना भी स्पष्ट अंकित है। मौके पर रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये है। इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा उक्त मद में मिथ्या कथन वर्णित किए है, ना ही किसी प्रकार का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। वृद्व प्रार्थी को हैरान परेशान व न्याय प्राप्ती में देरीना करने की गरज से अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 111 के अन्तर्गत सीमा से सम्बन्धित विवाद की विनिश्चय विद्यमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर तथा वही ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो, वहीं वास्तविक कब्जे के आधार पर भू अभिलेख अधिकारी कर सकता है। विविश्चय के लिए संक्षिप्त जॉच पर्याप्त है। उक्त पत्थरगढ़ी के प्रार्थना–पत्र खसरा नम्बर 1947 का सर्वेक्षण नक्शा भी मौजूद है व मौके व नक्शे में सीमा चिन्ह है। इसलिए सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.29 11:48:59 IST
Reason: SelfAttested

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ती प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर तहसीलदार चौमूं के आदेशानुसार सीमाज्ञान फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 2–7–2021 के अनुसार प्रार्थी की उक्त

उपखण्ड अधिकारी जयपुर

मे की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत है, आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का प्रारम्भिक आपत्ति का खारिज किया गया। पत्रावली में अंतिम बहस सूनी गयी। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजीयात् के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 02.07.2021 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश/अपील विचाराधीन नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 02.07.2021 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/11/21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राहुल जैन
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.29 11:48:59 IST
Reason: SelfAttested